न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पटना।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–6095 / 2021.

06 / 10 / 2021.

आवेदक कन्हाई ठाकुर की ओर से पाटलीपुत्रा थाना काण्ड संख्या–179 / 2021, अपराध अंतर्गत धारा–25(1-B)a / 26 / 35 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता इस आशय का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करते हैं कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा एवं बनावटी आरोप लगाकर फंसा दिया गया है जबकि लगाए गए आरोप एवं तथाकथित बरामद अग्नेयास्त्र से आवेदक का कोई सरोकार नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई विधिक साक्ष्य नहीं है। लगाया गया आरोप आवेदक पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता है। आवेदक को तंग व परेशान करने की नीयत से दुर्भावनावश फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है तथा भागने वाला नहीं है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय भानु एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को V.H.F. के द्वारा सुना गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन घटना इसप्रकार है कि, सूचक सत्येन्द्र कुमार शाही, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा थाना द्वारा अपना स्वलिखित बयान टंकित कराया गया कि दिनांक 22.03.2021 को समय 20.50 बजे गुप्त सूचना मिली कि नेहरू नगर मुहल्ला के मकान सं0–257 के प्रथम तल्ला पर पश्चिम दक्षिण कोना पर बने कमरा में कुछ अपराधकर्मी रूके हुए हैं। सूचक द्वारा थाना में सनहा दर्ज कर थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल के साथ गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मकान संख्या–257 के पास पहुंचकर सशस्त्र बल के द्वारा घेराबंदी कर उक्त मकान संख्या–257 में प्रवेश किया तथा मकान मालिक राहुल रंजन एवं राम बिनोद शर्मा को पास बुलाया गया। दोनों मकान मालिक द्वारा साक्षी बनने की सहमति देने पर उनकी उपस्थिति में प्रथम तल्ला के पश्चिम दक्षिण के कोना पर बने कमरा के पास जब सूचक एवं अन्य पहुंचा तो उक्त कमरा में मौजूद चार लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से दो लड़के को पकड़ लिया गया तथा दो लड़के मकान के छत के सबसे उपरी तल्ला के छत पर चढ़कर सटे पश्चिम के मकान की छत पर कूदकर भागने में सफल रहे। पकड़ाये दोनों लड़कों ने पूछने पर अपना नाम आदित्य रंजन उर्फ कन्हाई सिंह एवं विक्की कुमार बताये तथा भागने वाले लड़के का नाम कन्हाई ठाकुर (आवेदक) एवं राहुल कापड़ बताये। साक्षियों के समक्ष पकड़ाये दोनों लड़के की तलाशी ली गयी तो आदित्य रंजन उर्फ कन्हाई सिंह के कमर में वायें तरफ खोंसा हुआ 7.65 एम.एम. का एक पिस्टल जिसके मैगजीन में 03 जिन्दा कारतूस लोड किया हुआ तथा पैंट के दाहिने पॉकेट से मोबाईल सेट बरामद किया गया एवं कमरा में जमीन पर बिछे हुए विस्तर के नीचे पश्चिम तरफ रखा हुआ 7.65 एम.एम. का एक पिस्टल जिसके मैगजीन में 04 जिन्दा करतूस लोड किया हुआ तथा कमरा में खूंटी पर टंगे काला रंग के बैग में रखा हुआ 500 एवं 200 रूपयों की गड्डी कुल पांच लाख पच्चीस हजार रूपया एवं कमरे से अन्य सामग्री बरामद किया गया। पकड़ाये व्यक्तियों से बरामद अग्नेयास्त्र से संबंधित कागजात की मांग किये जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद रूपयों के संबंध में पूछने पर पकड़ाये व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.03.2021 को अल्पना मार्केट के पास ए.टी.एम. कैश वैन के कस्टोडियन को गोली मारकर लूटा गया है। तत्पश्चात बरामद सभी सामानों की जप्ती सूची तैयार कर पकड़ाये दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

वाद दैनिकी की छाया प्रति प्राप्त है। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पुलिस को देखकर घटना स्थल से भाग गया था। आवेदक

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पटना।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–6095 / 2021.

लगातार

06 / 10 / 2021.

अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक द्वारा अपने प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की कण्डिका–3 में कथन किया गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जबकि वाद दैनिकी के कण्डिका–31 के अनुसार आवेदक का श्रीकृष्णापुरी थाना काण्ड संख्या–85 / 2021, अंतर्गत धारा–394 भा0द0वि0 का आपराधिक इतिहास है। आवेदक के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश–XIII,

पटना।